फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

मुरलीधर बनाम चुन्नीलाल व अन्य

मुकदमा संख्या/वर्ष (प्रा.पत्र 0-9 R-13) 06/2024

क0स0	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	22/2/24	पत्रावली पेश हुई। वकील परिवादी उपस्थित। प्रा.पत्र 0-9 R-13 पर निर्णय नहीं सुनाया जा सका। अतः पत्रावली वास्ते निर्णय प्रा०पत्र दिनांक 28.02.24 को पेश हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर
	28/2/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्तागण उभयपक्ष उपस्थित। P.O. महोदय अन्य राजकार्य (चुनाव सम्बन्धी ट्रेनिंग) में व्यस्त हैं। अतः पत्रावली साविकानुसार/वास्ते निर्णय प्रा.पत्र 0-9 R-13 दिनांक 04/03/24 को पेश हो।
	04/3/24	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उप॰। प्रस्तुत प्रा.पत्र 0-9 R-13 के तथ्यों पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि न्यायालय हाजा द्वारा पूर्णतः विधिक प्रक्रिया की पालना अनुसार तथा प्रावधानों के अन्तर्गत अंतिम निर्णय उभयपक्षकारान के प्रस्तुत तथ्यों व साक्ष्यों की स्वविवेक गुणवत्ता अनुसार पारित किये गये हैं जिनके संबंध में कोई मान्य/स्वीकार योग्य आपत्ति निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत भी नहीं की गई है। इसलिए न्यायालय हाजा के सुविचारित निर्णय को स्वयं न्यायालय हाजा द्वारा अपास्त

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

मुरलीधर बनाम चुन्नीलाल व अन्य

मुकदमा संख्या/वर्ष (प्रा.पत्र 09 R-13) 06/2024

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
04/03/24	करने का कोई ठोस व उपयुक्त आधार नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 इस निर्देश के अधीन खारिज किया जाता है कि प्रार्थी को न्यायालय हाजा के विधि अनुसार पारित निर्णय के संदर्भ में कोई उज्र आपत्ति/असंतुष्टि है तो प्रार्थी सक्षम स्तर पर अपील हेतु स्वतंत्र है। निर्णय सुनाया गया। (विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर संलग्न है।) पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर	

Signature Not Verified
Digitally signed by SHYAMA RATHORE
Date: 2024.05.01 10:41:23 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर, मुख्यालय,जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्यामा राठौड, आर.ए.एस.
प्रार्थना पत्र संख्या : 06/2021
निर्णय दिनांक : 04.03.2024

मुरलीधर पुत्र सोणी लाल उर्फ सोन्या जाति बलाई
निवासी ग्राम हरचन्दपुरा उर्फ कांकरावाला तहसील आमेर जिला जयपुर।

----प्रार्थी

बनाम

1. धूणीलाल पुत्र स्व० श्री सेवाराम उर्फ सेवला जाति बलाई
निवासी ग्राम हरचन्दपुरा उर्फ कांकरावाला तहसील आमेर जिला जयपुर।
2. सावित्री पत्नी गिरधारी लाल पुत्री मालीराम
निवासी ग्राम हरचन्दपुरा उर्फ कांकरावाला तहसील आमेर जिला जयपुर हाल निवासी शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।
3. ज्वाला प्रसाद पुत्र प्रभात उर्फ प्रभात्या जाति बलाई
निवासी ग्राम अरनिया हाल निवासी ग्राम हरचन्दपुरा उर्फ कांकरावाला तहसील आमेर जिला जयपुर।
4. मुरली पत्नी सुवालाल पुत्री मंगला उर्फ मंगल्या जाति बलाई
निवासी भुरानपुरा जाटान तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।
5. नन्छी पत्नी सुवालाल पुत्री मंगला उर्फ मंगल्या जाति बलाई
निवासी हनुतपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर जिला जयपुर।

सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक आमेर मु. जयपुर

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 9 नियम 13 एवं सपठित धारा 151 सी०पी०सी० बाबत् वाद संख्या 03/2016 उनवानी धूणीलाल व अन्य बनाम ज्वाला प्रसाद व अन्य में पारित एकतरफा आदेश दिनांक 04.10.2019 एवं निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.01.2021 को निरस्त किये जाने।

निर्णय

प्रार्थी की ओर से न्यायालय हाजा के निर्णीत प्रकरण सं. 3/2016 बउनवानी धूणीलाल व अन्य बनाम ज्वाला प्रसाद व अन्य के सन्दर्भ में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.01.21 एवं उक्त प्रकरण में ही प्रार्थी/प्रतिवादी के विरुद्ध पारित एकतरफा कार्यवाही आदेश दिनांक 04.10.19 को अपास्त किए जाने के सन्दर्भ में हस्तगत प्रा.पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 15 सीपीसी न्यायालय हाजा में दिनांक 04.08.21 को प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया है कि प्रार्थी द्वारा उक्त मूलवाद में एक प्रार्थना पत्र धारा 10 सीपीसी सपठित धारा 151 न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत किया था जो न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 26.09.17 द्वारा खारिज कर दिया गया था। जिसके संदर्भ में प्रार्थी/प्रतिवादी की ओर से अपील निगरानी सं 6816/2017 बउनवानी मुरलीधर बनाम धूणीलाल के रूप में माननीय न्यायालय राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर के समक्ष प्रस्तुत की गई थी जो माननीय न्यायालय राजस्व मंडल द्वारा दिनांक 22.11.18 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज फरमा दी गई। जिसकी पुनः निगरानी राजस्व मण्डल में निगरानी सं 5453/2019 के रूप में प्रस्तुत की गई है जो लंबित है तथा प्रश्नगत भूमि के संदर्भ में ही पक्षकारान के मध्य ही एक प्रकरण सिविल न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क.ख.) जयपुर जिला जयपुर में बउनवानी धूणीलाल व अन्य बनाम ज्वाला प्रसाद व अन्य प्रकरण सं. 137/2015 के रूप में लंबित चला आ रहा था । जो वर्तमान में लंबित है। जिसके अंतर्गत अप्रा[illegible] की ओर से प्रस्तुत प्रा.पत्र टी.आई को माननीय न्यायालय द्वारा मिन प्रार्थी/प्रतिवादी [illegible] मिन प्रार्थी/प्रतिवादी के पक्ष में खारिज किया गया था। न्यायालय हाजा द्वारा मिन प्रार्थी/प्रतिवादी [illegible] विरूद्ध अपीलीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के पारित अदम हाजरी [illegible] खारिज किये जाने के आदेश दिनांक 22.11.18 को अंतिम नि[illegible] प्रतिवादी के विरूद्ध दिनांक 04.10.19 को एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित कर दिये गये तथा प्रार्थी को सुनवाई का कोई अवसर पदत नहीं किया गया एवं सिविल न्यायालय व राजस्व मण्डल अजमेर की पत्रावलियो के आधार पर नियमानुसार विधिपूर्वक कार्यवाही नहीं कर एकतरफा डिक्री व निर्णय पारित कर दिया गया। जो न्यायोचित नहीं है। प्रार्थी/प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में यह भी कथन किया गया कि उक्त अवधि में कोविड वैश्विक महामारी के प्रभावी होने के दृष्टिगत राजस्व मण्डल राजस्थान के आदेशानुसार भी प्रकरणो में

Signature Not Verified
Digitally signed by SHYAMA RATHORE
Date: 2024.05.01 10:41:23 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

एकतरफा कार्यवाही नहीं की जानी अपेक्षित थी परन्तु फिर भी न्यायालय हाजा द्वारा उक्त आदेश की अनदेखी कर आलोच्य आदेश दिनांक 04.10.19, 22.01.21 पारित किये गये है जो न्यायोचित नहीं है। अतः प्रार्थी (प्रतिवादी 4) की ओर से प्रस्तुत प्रा.पत्र आदेश 9 नियम 13 स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी/प्रतिवादी के विरूद्ध पारित एकतरफा कार्यवाही आदेश दिनांक 04.10.19 व प्रकरण के एकतरफा निर्णय दिनांक 22.01.21 को निरस्त फरमाया जावे।

प्रार्थी की ओर से अपने प्रा.पत्र के संदर्भ/समर्थन में निम्न दस्तावेजात पेश किये गये है:-

1. न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 04.10.19 की प्रमाणित प्रति।
2. न्यायालय हाजा के निर्णय व डिक्री दिनांक 22.01.21 की प्रमाणित प्रति।
3. अपीलीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान में प्रस्तुत निगरानी सं 6816/2017 के संदर्भ में आदेश दिनांक 22.11.18 की प्रमाणित प्रति।
4. अपीलीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान में प्रस्तुत पुनः निगरानी सं 5453/2019 के संदर्भ में आदेश दिनांक 08.04.21 तक की प्रमाणित प्रति मय शीर्षक उनवान की प्रमाणित प्रति।

प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का जवाब प्रस्तुत कर जवाब प्रा.पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया है कि प्रार्थी ने न्यायालय हाजा के समक्ष वाद विचाराधीन होने का असत्य कथन वाद द्वारा प्रस्तुत किया है जबकि मूल प्रकरण को न्यायालय द्वारा गुणावगुण पर दिनांक 22-1-2021 को ही अपने विधिसम्मत् निर्णय एवं डिक्री द्वारा स्वीकार किया जा चुका है जो पूर्णतया विधिसम्मत् एवं न्यायोचित निर्णय है परिणामस्वरूप प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा न्यायालय के समक्ष असत्य एवं आधारहीन कथन अंकित करते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 10 सी.पी.सी. प्रस्तुत किया गए जो न्यायालय द्वारा उभय पक्षो की बहस सुनने के पश्चात् अपने निर्णय दिनांक 26-9-2017 व 26/10-2017 द्वारा निस्तारित किये गये थे। जिनके विरूद्ध प्रार्थी/प्रतिवादी ने माननीय मण्डल के समक्ष निगरानी याचिका सख्या 6816/2017 प्रस्तुत की जो माननीय मण्डल द्वारा दिनांक 22-11-2018 को खारिज की जा चुकी है। भूमि वादग्रस्त के सम्बंध में प्रार्थी प्रतिवादी के हक में किये गये कुटरचित विक्रय पत्र को निरस्त करवाने हेतु अप्रार्थी/वादीगण ने माननीय सिविल न्यायाधीश जयपुर जिला जयपुर के समक्ष वाद बाबत् निरस्त किये जाने विक्रय पत्र एवं स्थायी निषेधाज्ञा वर्ष 2015 में प्रस्तुत किया था जिसे उक्त न्यायालय द्वारा उभय पक्षो की गुणावगुण पर बहस सुनकर प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा करवाये गये कूटरचित विक्रय पत्र 16-8-1982 को अपने निर्णय एवं डिक्री द्वारा 9-9-2021 द्वारा निरस्त फरमा कर अप्रार्थी/वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जिसकी प्रार्थी/प्रतिवादी को प्रारम्भ से ही पूर्ण जानकारी है। प्रार्थी/प्रतिवादीगण को माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन वाद की प्रारम्भ से ही पूर्ण जानकारी थी स्वयं प्रतिवादी संख्या लगायत 4 ने दिनांक 2-5-2016 को माननीय न्यायालय के समक्ष अपना वादौत्तर प्रस्तुत किया है इसके पश्चात् जानबूझकर माननीय न्यायालय के समक्ष बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे जिस पर माननीय न्यायालय ने इन्हें सूचना हेतु पुनः नोटिस प्रेषित किये जिस पर प्रर्याप्त सूचना होने के उपरान्त भी प्रतिवादीगण बद्दियतिपूर्वक माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए तत्पश्चात् माननीय न्यायालय ने दिनांक 4-10-2019 को इनके विरूद्ध एकपक्षिय कार्यवाही किये जाने का विधिसम्मत् निर्णय पारित किया है जिसकी प्रतिवादीगण को प्रारम्भ से ही पूर्ण जानकारी थी जबकि भूमि वादग्रस्त के सम्बंध में माननीय सिविल न्यायाधीश जयपुर जिला जयपुर के समक्ष पूर्व से विचाराधीन वाद की पैरवी हेतु प्रतिवादीगण नियमित रूप से उपस्थित होते थे लेकिन जानबूझकर माननीय न्यायालय के समक्ष अनुपस्थित रहे है जबकि माननीय सिविल न्यायालय के समक्ष मिन अप्रार्थीगण ने माननीय न्यायालय द्वारा पारित विधिसम्मत् निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22-1-2021 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत कर निर्णय एवं डिक्री से अवगत करवाया किन्तु फिर भी प्रार्थी प्रतिवादीगण ने अन्दर मयाद किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की तथा अब असत्य कथन करते हुए उक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत किया है। न्यायालय हाजा द्वारा पत्रावली पर मौजूद उभय पक्षो के अभिवचनो एवं प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य एवं कायम की गयी तनकी का अध्ययन एवं गुणावगुण पर परिशिलन किये जाने के बाद ही विधि सम्मत् निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22-1-2021 को पारित किया गया है जिसे प्रा.पत्र आदेश 9 नियम 13 के माध्यम से निरस्त करवाने का प्रार्थी/प्रतिवादी को कोई अधिकार नही है। न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री पूर्णतया न्यायोचित एवं विधिसम्मत् है। प्रार्थी/प्रतिवादी ने बिना किसी आधार के असत्य कथन अंकित किये है

Signature Not Verified
Digitally signed by SHYAMA RATHORE
Date: 2024.05.01 10:41:23 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

जो निरस्त किये जाने योग्य है। न्यायालय द्वारा दिनांक 4–10–2019 को प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षिय कार्यवाही किये जाने का आदेश प्रदान किया गया उक्त दिनांक को ना तो वैश्विक महामारी कॉविड–19 प्रभाव में था और ना ही किसी भी उच्च न्यायालय ने उक्त दिनांक को एकतरफा कार्यवाही नही किये जाने के सम्बंध में कोई आदेश पारित किया हुआ था किन्तु फिर भी प्रार्थी/प्रतिवादी ने कतई असत्य कथन करते हुए उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। न्यायालय द्वारा पारित विधिसम्मत् निर्णय एंव डिक्री दिनांक 22–1–2021 के विरूद्ध प्रार्थी/प्रतिवादी को ना तो आवेदन अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 प्रस्तुत करने का अधिकार है तथा ना ही उक्त निर्णय एवं डिक्री के 30 दिवस व्यतीत हो जाने के पश्चात् माननीय न्यायालय को इसकी सुनवाई का अधिकार प्राप्त है निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने का अधिकार प्रार्थी/प्रतिवादी को प्राप्त है जो कि प्रार्थी/प्रतिवादी ने प्राप्त कर लिया है तथा उक्त निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा अपील 289/2021 दिनांक 30–6–2021 को माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के समक्ष प्रस्तुत की जा चुकी है जो विचाराधीन है किन्तु फिर भी प्रार्थी/प्रतिवादी ने न्यायालय हाजा को गुमराह करने के उदेदश्य से मयाद बाहर दिनांक 4–8–2021 को उक्त आवेदन प्रस्तुत किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा. पत्र में ऐसा कोई आधार व कारण अंकित नहीं किया गया हैं जिसकी वजह से मयाद का उपशमन किया जाकर विचाराधीन आवेदन को गुणावगुण पर निर्णित किया जाना आवश्यक हो और ना ही विलम्ब को माफ किये जाने हेतु कोई आवेदन अलग से प्रस्तुत किया है परिणामतः प्रार्थना पत्र अस्पष्ट, अपूर्ण एवं मयाद बाहर होने की वजह से निरस्त किये जाने योग्य हैं। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में यह भी कथन किया गया है कि प्रार्थी/प्रतिवादी की ओर से न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने से लेकर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही किये जाने के दिन तक विचारण की कार्यवाही को विलम्बित रखने हेतु सदैव प्रयासरत रहे है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र भी इसी उद्देश्य से पेश किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अपने प्रा.पत्र में प्रार्थी ने मूल वाद में अपनी अनुपस्थिति का कोई कारण अंकित नही किया है जबकि स्वयं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 ने दिनांक 2–5–2016 को न्यायालय के समक्ष अपना वादौत्तर प्रस्तुत किया है इसके पश्चात् जानबूझकर माननीय न्यायालय के समक्ष बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे जिस पर माननीय न्यायालय ने इन्हें सूचना हेतु पुनः नोटिस प्रेषित किये जिस पर पर्याप्त सूचना होने के उपरान्त भी प्रार्थी व अन्य प्रतिवादी न्यायालय के समक्ष उपस्थित नही हुए तत्पश्चात् न्यायालय ने दिनांक 4–10–2019 को इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही किये जाने का विधिसम्मत् निर्णय पारित किया है। जिसकी प्रतिवादीगण को प्रारम्भ से ही पूर्ण जानकारी थी जबकि भूमि वादग्रस्त के सम्बंध में माननीय सिविल न्यायाधीश जयपुर जिला जयपुर के समक्ष पूर्व से विचाराधीन वाद की पैरवी हेतु प्रतिवादीगण नियमित रूप से उपस्थित होते थे लेकिन जानबूझकर न्यायालय हाजा के समक्ष अनुपस्थित रहे है जबकि माननीय सिविल न्यायालय के समक्ष अप्रार्थीगण/वादीगण ने माननीय न्यायालय द्वारा पारित विधिसम्मत् निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22–1–2021 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत कर उक्त निर्णय एवं डिक्री से अवगत करवाया किन्तु फिर भी प्रार्थी/प्रतिवादीगण ने जानबूझकर माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्रीदिनांक 22–1–2021 के विरूद्ध दिनांक 30–6–2021 को अपील न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के समक्ष प्रस्तुत करने एवं डिक्रीकी पालना में अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के नाम स्वीकृत नामान्तरकरण के विरुद्ध अपील दिनांक 30–6–2021 को प्रस्तुत करने के उपरान्त लगभग 34 दिवस पश्चात् दिनांक 4–8–2021 को उक्त आवेदन माननीय न्यायालय को गुमराह करने के कुत्सित् उद्देश्य से प्रस्तुत किया है जिसमें विलम्ब को माफ किये जाने हेतु कोई अनुतोष नही चाहा गया है एवं ना ही अलग से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 भा.प.अ. प्रस्तुत किया है परिणामस्वरूप परिणामस्वरूप प्रार्थना पत्र मयाद बाहर होने की वजह से निरस्त फरमाये जाने योग्य है। प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण ने माननीय न्यायालय द्वारा पारित विधिसम्मत् निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22–1–2021 के विरूद्ध उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. विधि के बाध्यकारी सिद्धांतो के विपरीत वास्तविक तथ्यों को छिपाते हुये मयाद बाहर दिनांक 4–8–2021 को प्रस्तुत किया है। विधि का सुस्थापित एवं बाध्यकारी प्रावधान अनुसार प्रार्थना पत्र को प्रस्तुत करने हेतु 30 दिवस की अवधि विधि में निर्धारित की गयी है जिसके पश्चात् मात्र अपील का प्रावधान विधि में निर्धारित है जिसे प्रार्थी ने अपील प्रस्तुत कर प्राप्त कर लिया है इसलिए प्रा.पत्र न्यायालय हाजा के समक्ष पोषणीय नही है परिणामस्वरूप प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जायें तथा प्रार्थना पत्र को प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को माफ किये जाने हेतु प्रार्थी प्रतिवादी ने कोई अनुतोष उक्त प्रार्थना पत्र के माध्यम से न्यायालय से नही चाहा है और ना ही पृथक से आवेदन

Signature Not Verified
Digitally signed by SHYAMA RATHORE
Date: 2024.05.01 10:41:23 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

अन्तर्गत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम का प्रस्तुत किया गया है यदि प्रार्थीगण प्रतिवादीगण को मयाद के सम्बंध में प्रार्थना पत्र में अंकित तथाकथित आक्षेपो के आधार पर माननीय न्यायालय से कोई अनुतोष चाहिए तो उन्हें उन आक्षेपों को आवश्यक रूप से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सी. पी.सी एवं आवेदन अन्तर्गत धारा 5 भा.प.अ. में अंकित करना चाहिए था इसलिए उक्त आवेदन के अभाव में प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी. मयाद बाहर होने की वजह से निरस्त किये जाने योग्य है। निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी प्रस्तुत करने हेतु 30 दिवस की अवधि का बाध्यकारी प्रावधान है किन्तु फिर भी प्रार्थीगण प्रतिवादीगण ने माननीय न्यायालय द्वारा पारित विधिसम्मत् निर्णय एवं डिक्रीदिनांक 22-1-2021 के विरूद्ध दिनांक 4-8-2021 को मयाद बाहर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियत 13 सी. पी.सी. प्रस्तुत किया है जबकि प्रार्थी ने उक्त निर्णय एवं डिक्रीके विरुद्ध दिनांक 30-6-2021 को अपील न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के समक्ष प्रस्तुत की जा चुकी है तथा नामान्तरकरण के विरूद्ध अपील दिनांक 30-6-2021 को न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर जयपुर चर्तुथ के समक्ष प्रस्तुत की जा चुकी है जिसका स्पष्ट आशय यह है कि प्रार्थी/प्रतिवादी को उक्त दिनांक को माननीय न्यायालय द्वारा पारित विधिसम्मत् निर्णय एवं डिक्रीकी पूर्णतया जानकारी थी किन्तु फिर भी प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 30-6-2021 को माननीय न्यायालय के समक्ष क्यो पेश नही किया इस सम्बंध में कोई तथ्य उक्त प्रार्थना पत्र में अंकित नही किये है और ना ही प्रार्थना पत्र को मयाद में शुमार किये जाने का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 भा.प.अ. पृथक से प्रस्तुत किया गया है जिसमें प्रार्थीगण की प्रारम्भ से ही जानबूझकर लापरवाही एंव न्यायिक प्रणाली की उपेक्षा करने का तथ्य स्पष्ट हो रहा है इसलिए प्रार्थी (प्रतिवादी) माननीय न्यायालय से ना तो कोई सहानुभूति प्राप्त कर सकते है और ना ही प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अवधि अंतर्गत शुमार किये जाने का अनुतोष ही प्राप्त कर सकते है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को, भारतीय परीसीमा अधिनियम की धारा के अभाव में निरस्त फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षकारान अधिवक्ता की बहस सुनी। तथ्यो पर मनन किया व पत्रावली में उपलब्ध तथा प्रस्तुत दस्तावेजात का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। उभयपक्षकारान के प्रस्तुत अभिकथनो व पत्रावली में उपलब्ध/प्रस्तुत दस्तावेजात के समग्र विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थना पत्र के अधीन उल्लेखित न्यायालय हाजा के निर्णीत मूल प्रकरण सं 03/2016 बउनवानी धूणीलाल व अन्य बनाम ज्वाला प्रसाद व अन्य दिनांक 18.02.2016 को दर्ज किया गया था। जिसके बाबत में नियमानुसार विधिवत कार्यवाही के अन्तर्गत प्रार्थी/प्रतिवादी को भी विधिवत नोटिस जारी किये गये थे तथा जारी नोटिस के कम में प्रार्थी/प्रतिवादी की ओर से दिनांक 30.03.2016 को वकालतनामा प्रस्तुत किया गया था। जिसके अनुसरण में तारीख पेशी दिनांक 02.05.2016 को प्रार्थी प्रतिवादी की ओर से जवाब दावा भी प्रस्तुत किया गया। जिसके पश्चात में दिनांक 12.08.2016 को प्रार्थी/प्रतिवादी के कथनो के आधार पर तनकीयात कायम की जाकर पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी नियत की गयी। जिसके अनुसरण में वादी की ओर से दिनांक 21.10.2016 को साक्ष्य शपथ पत्र आदेश 7 नियम 14 प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत साक्ष्य शपथ पत्र व प्रा.पत्र की प्रति प्रतिवादी अधिवक्ता (हाल प्रार्थी) को दिलायी गयी। जिसका हाल प्रार्थी द्वारा दिनांक 21.12.2016 को जवाब प्रस्तुत किया गया। जिसके पश्चात आगामी नियत तारीख दिनांक 11.01.2017 को प्रार्थी की ओर से प्रा.पत्र धारा 10 भी प्रस्तुत किया गया तथा दिनांक 11.07.2017 को प्रार्थी की ओर से प्रा.पत्र आदेश 7 नियम 11 का भी प्रस्तुत किया गया। जिनके संदर्भ में पत्रावली के नियत रहते प्रार्थी व अप्रार्थीगण की विधि अनुसार सुनवाई की जाकर [illegible] 11 व प्रा.पत्र धारा 10 का समुचित निस्तारण दिनांक 26.09.2017 को किया [illegible] संदर्भ में प्रार्थी की ओर से दिनांक 16.11.2017 को अपील/नि[illegible] अजमेर में प्रस्तुत की गयी जो दिनांक 22.11.2018 को [illegible] न्याय[illegible] हाजा को अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 12.07.2019 को प्राप्त होने पर प्रकरण में अग्रिम सुनवाई हेतु पक्षकारान को विधिवत नोटिस दिनांक 16.07.2021 को जारी किये गये। जो बाद तामिल [illegible] न्यायालय हाजा को दिनांक 01.08. 2019 को प्राप्त होने पर प्रार्थी की ओर से बावजूद विधिवत सूचना/जानकारी/तामिल नोटिस के उपस्थिति प्रस्तुत नहीं की गयी तथा निरन्तर तारीख पेशीयो पर प्रार्थी (प्रतिवादी 4) के उपस्थित नहीं होने पर दिनांक 04.10.2019 को प्रार्थी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। (जिसके पूर्व प्रार्थी की ओर से विभिन्न प्रकार के प्रा.पत्र न्यायालय हाजा व विभिन्न न्यायालय में भी प्रस्तुत किये जाते रहे है जिनका विधिवत निस्तारण भी किया जाता रहा है। जिससे स्पष्ट है

Signature Not Verified
Digitally signed by SHYAMA RATHORE
Date: 2024.05.01 19:41:23 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

कि प्रार्थी को प्रकरण दायरी के प्रथम दिवस से प्रकरण की संपूर्ण जानकारी उपलब्ध रही है।) इसके उपरान्त भी प्रार्थी के विरूद्ध पारित एकतरफा कार्यवाही आदेश दिनांक 04.10.2019 के संदर्भ में कोई उज्र आपत्ति निर्धारित समय अवधि में प्रस्तुत नहीं की गयी। जिसके कम में नियमानुसार व प्रावधानों के अन्तर्गत सुनवाई की जाकर मूल वाद का अन्तिम निस्तारण दिनांक 22.01.2021 को पक्षकारान के प्रस्तुत अभिकथनों अनुसार विरचित तनकीयात के आधार पर साक्ष्यों की गुणवत्ता अनुसार किया गया। जिसके संदर्भ में भी निर्धारित समयावधि में कोई उज्र आपत्ति/अपील प्रार्थी प्रतिवादी की ओर से नहीं की गई तथा बावजूद न्यायालय निर्णय दिनांक 22.01.2021 की भली-भांति जानकारी के समयावधि में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं कर लगभग 7 माह उपरान्त हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। यद्यपि न्यायालय हाजा द्वारा विधिवत व प्रावधानों के अनुसार निर्धारित कार्यवाही के अन्तर्गत आदेश दिनांक 04.10.2019 व आदेश/डिक्री दिनांक 22.01.2021 विधिसम्मत कार्यवाही के अनुसार पारित किये गये है। फिर भी यदि प्रार्थी को उक्त आदेश/निर्णय से कोई उज्र आपत्ति थी तो प्रार्थी द्वारा सक्षम स्तर पर अपील की जानी चाहिए थी। इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि प्रार्थी/प्रतिवादी ने वैश्विक महामारी कॉविड-19 का आधार लेते हुए असत्य एवं अविधिक तथ्यो के आधार पर न्यायालय को गुमराह करने के उद्देश्य से उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 4-8-2021 को प्रस्तुत किया गया है। जबकि प्रार्थी के विरूद्ध पारित एकतरफा कार्यवाही आदेश दिनांक 04.10.2019 पर तथा इससे पूर्व भी कभी कोविड महामारी का प्रभाव/अस्तित्व नहीं रहा था। प्रार्थी द्वारा उक्त दिवस को कोविड 19 का प्रभाव होने संबंधी कथन असत्य वर्णित किया गया है तथा प्रार्थी/प्रतिवादी को न्यायालय द्वारा पारित विधिसम्मत् निर्णय दिनांक 4-10-2019 एवं विधिसम्मत् निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22-1-2021 की प्रारम्भ से ही पूर्ण जानकारी थी जिसके अनुसार ही प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा न्यायालय हाजा के विधिसम्मत् पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22-1-2021 के विरूद्ध दिनांक 30-6-2021 को अपील 289/2021 न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के समक्ष प्रस्तुत की जा चुकी है तथा निर्णय एवं डिक्री की पालना में अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के नाम स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 500 के विरूद्ध अपील संख्या 18/2021 दिनांक 30-6-2021 को न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर चर्तुथ जयपुर के समक्ष प्रस्तुत की जा चुकी है किन्तु फिर भी प्रार्थी/प्रतिवादी ने न्यायालय को गुमराह करने के उदेदश्य से मयाद बाहर दिनांक 4-8-2021 को उक्त प्रा.पत्र प्रस्तुत किया है तथा प्रस्तुत आवेदन में ऐसा कोई आधार व कारण भी अंकित नहीं किया गया हैं कि जिसकी वजह से मियाद का उपशमन किया जाकर विचाराधीन आवेदन को गुणावगुण पर निर्णित किया जाना आवश्यक हो और ना ही विलम्ब को माफ किये जाने हेतु अलग से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 भा.प.अ. प्रस्तुत किया है परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी विधि के सुस्थापित एवं बाध्यकारी प्रावधानो के विरूद्ध होने की वजह से निरस्त किया जाना न्यायोचित है। अतः इस प्रकार चूंकि न्यायालय हाजा द्वारा पूर्णतः विधिक प्रकिया की पालना अनुसार तथा प्रावधानो के अन्तर्गत यथोचित निर्णय उभयपक्षकारान के प्रस्तुत तथ्यो व साक्ष्यो की सर्वोच्च गुणवत्ता अनुसार पारित किये गये है। जिसके संदर्भ में कोई मान्य/स्वीकार योग्य आपत्ति निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत भी नहीं की गयी है। ऐसी स्थिति में न्यायालय हाजा के सुविचारित निर्णय को स्वयं न्यायालय हाजा द्वारा अपास्त किये जाने का कोई ठोस व उपयुक्त आधार उपलब्ध नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 इस निर्देश के अधीन खारिज किया जाता है कि प्रार्थी को न्यायालय हाजा के विधि अनुसार पारित निर्णय के संदर्भ में कोई उज्र आपत्ति/असंतुष्टि है तो प्रार्थी सक्षम स्तर पर अपील करने हेतु स्वतंत्र है।

निर्णय आज दिनांक 04.03.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by SHYAMA RATHORE
Date: 2024.05.01 10:41:23 IST
Reason: SelfAttested

(श्यामा राठौड़)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर,
मुख्यालय, जयपुर